न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मुंगेर।

भरण–पोषण (क्रिमनल) वाद सं0 07/2024

1. ममता देवी उर्फ माया उम्र–34 वर्ष, पति–कन्हैया लाल उर्फ बब्लू, पुत्री–अर्जुन राउत.....आवेदिका।,
2. पावनी कुमारी उम्र–12 वर्ष, पिता–कन्हैया लाल उर्फ बब्लू।

दोनों साकिनान–चारूग्राम नागदे, वार्ड नंबर 10, पोस्ट–नागदे, थाना–सिंघौल, जिला–बेगुसराय, वर्तमान पता–शादीपुर, मछली आढ़त के पास, थाना–कोतवाली, जिला–मुंगेर।

बनाम

कन्हैया लाल उर्फ बब्लू उम्र–39 वर्ष, पिता–मनोहर लाल राउत, पता–चारूग्राम नागदे, वार्ड नंबर 10, पोस्ट–नागदे, थाना–सिंघौल, जिला–बेगुसराय.....विपक्षी।

अन्तर्गत धारा 125 दं0 प्र0 सं0

आवेदिका की ओर से – मंजू कुमारी अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से– श्री कुमार अनिल अधिवक्ता।

उपस्थित– अरविन्द कुमार शर्मा,
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मुंगेर।

दिनांकः–02.06.2026

आदेश

1. उपरोक्त भरण–पोषण वाद आवेदिका ममता देवी उर्फ माया के द्वारा धारा 125 दं0 प्र0 सं0 के प्रावधानों के अन्तर्गत विपक्षी कन्हैया लाल उर्फ बब्लू के विरूद्ध लाया गया है।

2. आवेदिका का वाद संक्षेप में यह है कि उसका विवाह विपक्षी के साथ दिनांक 27.05.2010 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दोनों पक्षों के सगे संबंधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। शादी में आवेदिका के पिता अपने सामर्थ के अनुसार विपक्षी को उपहार स्वरूप एक लाख रूपया नगद, सोने का आभूषण व अन्य कीमती सामान वगैरह दिए थे। ससुराल जाने के कुछ ही समय के उपरांत विपक्षी और उसके परिवार आवेदिका को प्रताड़ित करने लगे कि अपने मां बाप से एक लाख रूपया मांग कर लाओ। आवेदिका द्वारा इंकार कर जब कहा गया कि उसके शादी के समय ही काफी कर्ज हो गया है जो कि चुकाना मुश्किल हो रहा है इसलिए आवेदिका के पिता अब कुछ नहीं दे सकते। तत्पश्चात्

विपक्षी और उसके परिवार वाले आवेदिका के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगे, आवेदिका को भूखा भी रखते इसके उपरांत आवेदिका यातनाएं सहकर अपने पिता को बुलाकर सारे घटना के बारे में बतायी तो, आवेदिका के पिता ने विपक्षी को समझाया। तत्पश्चात् विपक्षी द्वारा आवेदिका के पिता को कहा गया कि अपनी बेटी को लेकर जाइए और जब एक लाख रूपया दीजिए तब हम विदा कराने आएंगे। कुछ माह के उपरांत आवेदिका के पिता के विनती पर विपक्षी आया तो किसी तरह आवेदिका के पिता कर्ज लेकर विपक्षी को 25,000/– रूपया दिए तब आवेदिका अपने ससुराल गई। छः सात महीने तक आवेदिका अपने ससुराल में ठीक से रही, इसी बीच वह गर्भवती हो गई, इसके उपरांत पुनः विपक्षी एवं उसके परिवार वाले आवेदिका से 75,000/– रूपया की मांग करने लगे। आवेदिका ने जब मना किया तो उसके गर्भावस्था के दौरान ही विपक्षी एवं उसके परिवार वाले आवेदिका का खाना पीना बंद कर दिए तो आवेदिका अपने पिता को बुलायी और सारी बातें बतायी। आवेदिका के पिता ने समझाने का प्रयास किया परन्तु विपक्षी ने आवेदिका और उसके पिता को गाली बात कहकर भगा दिया तथा आवेदिका अपने मायके में ही रहकर एक पुत्री को जन्म दी। बच्ची के जन्म के बाद भी विपक्षी और उसका परिवार न तो आवेदिका को और ना ही उसकी पुत्री को देखने आया। आवेदिका के पिता पुनः विपक्षी के घर जाकर विनती किए तो दिनांक 24.04.2013 को विपक्षी एक बॉण्ड बनाकर दिया कि वह अपनी पत्नी आवेदिका को अच्छे से रखेगा तथा पंच के साथ विदा कराकर आवेदिका व अपनी बच्ची को बेगुसराय ले गया। कुछ माह के बाद पुनः विपक्षी और उसका परिवार आवेदिका से रूपया की मांग करने लगा और आवेदिका को प्रताड़ित कर पुत्री सहित उसके मायके पहुंचा दिया। फोन पर विपक्षी द्वारा आवेदिका को कहा गया है कि अगर यहां आयी तो काट कर फेंक देगें और वह दूसरी शादी कर लेगा। आवेदिका ने विपक्षी व उसके परिवार के विरूद्ध परिवाद संख्या 1070सी/2018 दाखिल किया जो अभी श्रीमान् एस.डी. जे.एम. मुंगेर के न्यायालय में लंबित है। आवेदिका अपनी पुत्री के साथ लगभग पांच साल से अपने मायके में रह रही है और वह एक गृहिणी है तथा उसके पास आय का कोई श्रोत नहीं है, विपक्षी ठेकेदार के अंदर मकान बनाने का कार्य करता है जिससे विपक्षी को 30,000/– रूपया प्रतिमाह आमदनी होता है। अतः आवेदिका को प्रतिमाह 20,000/– रूपया विपक्षी से भरण पोषण दिलाए जाने का निवेदन किए हैं।

3. प्रस्तुत वाद में विपक्षी उपस्थित हुआ है परन्तु उसके द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

4. आवेदिका अपने वाद को साबित करने के लिये 2 मौखिक साक्षियों जिसमें आवेदिका साक्षी सं0 1 स्वयं ममता देवी उर्फ माया एवं आवेदिका साक्षी संख्या 2 अर्जुन राउत को प्रस्तुत की है।

5. विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

किया गया है।

6. इस वाद में मुख्य विवाद्यक बिन्दु यह है कि क्या आवेदिका विपक्षी की विवाहिता पत्नी है और युक्ति युक्त कारण से अलग रह रही है तथा आवेदिका अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है और विपक्षी आवेदिका का भरण–पोषण करने में सक्षम होते हुए आवेदिका का भरण–पोषण करने में उपेक्षा कर रहा है और क्या आवेदिका विपक्षी से भरण–पोषण प्राप्त करने का हकदार है, यदि है तो कितनी राशि का?

7. आवेदिका अपने वाद को साबित करने के लिये दो मौखिक साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत की है। सर्वप्रथम इस वाद के महत्वपूर्ण साक्षी आवेदिका साक्षी सं0 1 ममता देवी उर्फ माया के साक्ष्य का विवेचना करता हूँ। यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि उसका विवाह दिनांक 27.05.2010 को विपक्षी के साथ हिन्दू रीति रिवाज से दोनों पक्षों के सगे संबंधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। शादी में उसके पिता ने अपने सामर्थ के अनुसार विपक्षी को उपहार स्वरूप एक लाख रूपया नगद, सोने का आभूषण व अन्य कीमती सामान वगैरह दिए थे। ससुराल जाने के कुछ ही समय के उपरांत विपक्षी और उसका परिवार उसको प्रताड़ित करने लगा कि अपने मां बाप से एक लाख रूपया मांग कर लाओ। आगे इस साक्षी का कथन है कि रूपया नहीं देने पर विपक्षी और उसके परिवार वाले उसके साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगे, यहां तक कि उसको भूखा भी रखते थे। जब उसके बर्दास्त के बाहर हो गया तब वह अपने पिता को फोन पर सब कुछ बतायी, तब उसके पिता ने विपक्षी को समझाया पर वे लोग नहीं माने और उसे अपने पिता के साथ उसके मायके भेज दिया। कुछ माह के उपरांत उसके पिता के विनती पर विपक्षी आया तो किसी तरह उसके पिता कर्ज लेकर विपक्षी को 25,000/– रूपया दिए तब उसे विपक्षी अपने घर ले गया। छः सात महीने तक वह अपने ससुराल में ठीक से रही, इसी बीच वह गर्भवती हो गई, इसके उपरांत पुनः विपक्षी एवं उसके परिवार वाले उससे 75,000/– रूपया की मांग करने लगे। उसने जब मना किया तो उसके गर्भावस्था के दौरान ही विपक्षी एवं उसके परिवार वाले उसका खाना पीना बंद कर दिए तब वह अपने पिता को बुलायी और सारी बातें बतायी। उसके पिता ने समझाने का प्रयास किया परन्तु विपक्षी ने उसे और उसके पिता को गाली गलौज कर भगा दिया तथा वह अपने मायके में ही रहकर एक पुत्री को जन्म दी। आगे इस साक्षी का कथन है कि उसके पिता पुनः विनती किए तो विपक्षी एक बॉण्ड बनाकर दिया कि वह अपनी पत्नी को अच्छे से रखेगा तथा पंच के साथ उसे व अपनी बच्ची को विदा कराकर बेगुसराय ले गया। कुछ माह के बाद पुनः विपक्षी और उसका परिवार उससे रूपया की मांग करने लगा और उसको प्रताड़ित कर पुत्री सहित उसके मायके पहुंचा दिया। विपक्षी ने उसे एक नोटिस भेजा जिसका जवाब वह दी कि वह और उसकी बेटी विपक्षी के साथ रहना चाहते हैं पर विपक्षी आज तक नहीं आया और फोन पर रूपये की मांग करता है तथा इसके साथ ही दूसरी शादी करने की भी धमकी देता है।

उसके द्वारा दहेज प्रताड़ना का एक केस भी किया गया है जिसमें विपक्षी कभी उपस्थित नहीं हुआ है। वह अपनी पुत्री के साथ अपने मायके में रह रही है और वह एक गृहिणी है तथा उसके पास आय का कोई श्रोत नहीं है। अतः उसको प्रतिमाह विपक्षी से भरण पोषण दिलाए जाने का निवेदन किए हैं।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि वह अपने मायके में कब से रह रही है उसे याद नहीं है। इसके अलावा उसने एक और केस किया है जिसका नंबर उसे याद नहीं है। वह विपक्षी के साथ रहना नहीं चाहती है क्योंकि विपक्षी ने दूसरी शादी कर लिया है।

8. आवेदिका साक्षी सं0 2 अर्जुन राउत के साक्ष्य का विवेचना करता हूँ। यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि आवेदिका उसकी पुत्री है एवं उसकी पुत्री का विवाह दिनांक 27.05.2010 को विपक्षी के साथ हिन्दू रीति रिवाज से दोनों पक्षों के परिवारजनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। शादी में उन्होंने उपहार स्वरूप एक लाख रूपया नगद, सोने का आभूषण एवं अन्य कीमती सामान वगैरह विपक्षी को दिया था। ससुराल में बसने के कुछ दिन के उपरांत ही विपक्षी और उसके परिवार वाले उनकी पुत्री को एक लाख रूपये के लिए प्रताड़ित करने लगे, इसकी जानकारी पर वह पुत्री के ससुराल जाकर विपक्षी को समझाया लेकिन वे लोग नहीं माने साथ ही वे लोग उनकी पुत्री को उनके साथ भेज दिए। आगे इस साक्षी का कथन है कि कुछ समय के उपरांत वह कर्ज लेकर 25,000/– रूपया विपक्षी को दिए और उनके काफी आरजू मिन्नत पर विपक्षी उनकी पुत्री को साथ लेकर चला गया। छः सात महीने तक विपक्षी उनकी पुत्री को अच्छे से रखा इस दौरान उनकी पुत्री गर्भवती हो गई तो विपक्षी और उसका परिवार पुनः 75,000/– रूपया की मांग करने लगे जिसके लिए उनकी पुत्री के साथ मारपीट भी करते थे। उनकी पुत्री ने उन्हें फोन पर बताया तो वह जाकर समझाए परन्तु विपक्षी ने उन्हें और उनकी पुत्री को गाली गलौज देकर भगा दिया। उनकी पुत्री ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसकी सूचना पर भी विपक्षी और उसका परिवार नहीं आया। कुछ महीने के बाद वह स्वयं फोन पर विपक्षी से आरजू मिन्नत किए और रूपया देने की बात कहे तब विपक्षी उनके घर आया और समाज के लोगों के समक्ष पंच द्वारा डांटने व समझाने बुझाने पर विपक्षी बॉण्ड पत्र बनाकर दिया कि वह उनकी पुत्री को अच्छे से रखेगा और बेगुसराय ले गया। आगे इस साक्षी का कथन है कि कुछ माह के बाद विपक्षी और उसका परिवार फिर फिर से उनकी पुत्री के साथ रूपया के लिए मारपीट करने लगा और अंत में उनकी पुत्री व नतीनी को मुंगेर पहुंचाकर भाग गया। तब से उनकी पुत्री आवेदिका उनके साथ रह रही है, वह वृद्ध हो चुके हैं तथा अपनी बेटी व नतीनी का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। उनकी पुत्री विपक्षी के साथ रहना चाह रही है, परन्तु विपक्षी ही दूसरी शादी करना चाह रहा है।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के क्रम में कहा है कि उनकी पुत्री कब से

उनके पास रह रही है वह नहीं बता सकते हैं।

9. उभय पक्ष को सुनने तथ्यों के परिशिलन तथा प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना से स्पष्ट होता है कि आवेदिका पत्नी द्वारा विपक्षी पति के विरूद्ध भरण पोषण का वाद लायी है। आवेदिका अपने वाद पत्र एवं साक्ष्य के क्रम में कही है कि विपक्षी के साथ उसका विवाह दिनांक 27.05.2010 को हुआ है और विपक्षी प्रस्तुत वाद में उपस्थित हुआ तथा उसके द्वारा आवेदिका के साथ हुए अपने विवाह को इंकार नहीं किया गया है इसलिए उभय पक्षों के बीच विवाह हुआ है यह एक स्वीकृत तथ्य है। आवेदिका द्वारा अपने वाद पत्र में यह कथन किया गया है कि विवाह के उपरांत विपक्षी एवं उसके परिवार वाले उससे एक लाख रूपया की मांग करने लगे और आवेदिका द्वारा यह कहने पर कि उसके पिता मांग की पूर्ति करने में असमर्थ है तो विपक्षी व उसके परिवार वाले उसे तरह तरह से मारपीट, गाली गलौज एवं प्रताड़ित करने लगे। आवेदिका द्वारा यह भी कहा गया कि उसके पिता के द्वारा कई बार विपक्षी से आरजू मिन्नत किया गया कि वह उनकी पुत्री को अपने साथ रखे और एक बार 25,000/– रूपया भी विपक्षी को दिया गया परन्तु विपक्षी के द्वारा कहा गया कि जब तक पूरा पैसा नहीं मिल जाता है वह आवेदिका को अपने साथ नहीं रखेगा। आवेदिका ने विपक्षी व उसके परिवार पर परिवाद केस भी दायर किया है जो अभी श्रीमान एस.डी.जे.एम. मुंगेर के न्यायालय में लंबित है। विपक्षी के द्वारा एक बार बॉण्ड भरकर पंचों के समक्ष दिया गया और आवेदिका व उसकी बच्ची को अपने साथ लेकर गया परन्तु उसके बाद भी विपक्षी के द्वारा आवेदिका को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है तब से आवेदिका अपने मायके में रह रही है। आवेदिका अपने कथन के समर्थन में दो मौखिक साक्षियों को प्रस्तुत की है जिसमें वह स्वयं आवेदिका साक्षी संख्या 1 के रूप में उपस्थित हुई है और अपने कथनों का समर्थन अपने साक्ष्य में की है तथा अपने प्रति परीक्षण में कही है कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है क्योंकि विपक्षी ने दूसरी शादी कर लिया है। आवेदिका साक्षी संख्या 2 ने भी आवेदिका के कथनों का समर्थन अपने साक्ष्य में किया है।

वाद पत्र एवं साक्ष्यों को देखने से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा आवेदिका से एक लाख रूपये की मांग के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है जिसके संबंध में आवेदिका ने परिवाद संख्या 1070सी/2018 विपक्षी एवं उसके परिवार के विरूद्ध दर्ज कराया है। इसके अतिरिक्त आवेदिका द्वारा विपक्षी पर दूसरी शादी करने का भी आरोप लगाया गया है। प्रस्तुत वाद में विपक्षी के द्वारा अपना जवाब दावा नहीं दाखिल किया गया और ना ही अपना साक्ष्य ही दाखिल किया गया है। विपक्षी द्वारा आवेदिका के कथनों का खण्डन नहीं किया गया है इसलिए आवेदिका द्वारा किया गया कथन सही प्रतीत होता है। आवेदिका को विपक्षी के द्वारा जानबूझकर के अपने साथ नहीं रखा जा रहा है और नहीं रखने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया है,

जबकि आवेदिका विपक्षी के साथ रहने के लिए तैयार है। विपक्षी द्वारा न तो अपने कर्त्तव्यों का पालन और ना ही आवेदिका का भरण पोषण किया जा रहा है, इस तरह से विपक्षी द्वारा आवेदिका को सिर्फ हैरान और परेशान किया जा रहा है विपक्षी की मंशा आवेदिका को अपने साथ रखने की नहीं है, विपक्षी बिना किसी कारण के आवेदिका से अलग रह रहा है और विपक्षी द्वारा आवेदिका के साथ नहीं रहने के संबंध में कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया है, आवेदिका द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के साक्ष्य पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं बनता है, इसलिए आवेदिका के पास वाजिब कारण है कि वह अपने पति विपक्षी से अलग रह रही है।

आवेदिका द्वारा अपने कथन में यह भी कहा गया है कि विपक्षी द्वारा उसका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है आवेदिका द्वारा प्रस्तुत साक्षियों का विपक्षी द्वारा प्रति परीक्षण किया गया है परन्तु प्रति परीक्षण के क्रम में कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं आया है जिससे यह प्रतीत हो कि आवेदिका को आय का श्रोत है जबकि विपक्षी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि आवेदिका को आय का श्रोत है, इसके अतिरिक्त प्रति परीक्षण के क्रम में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे आवेदिका का कथन झूठा एवं गलत साबित हुआ हो। इस प्रकार आवेदिका द्वारा प्रस्तुत साक्षियों का प्रति परीक्षण किया गया है, आवेदिका द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के साक्ष्य पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं बनता है। आवेदिका अपने साक्ष्य में कही हैं कि उसका पति विपक्षी ठेकेदार के अंदर में मकान बनाने का काम करता है जिससे विपक्षी को लगभग 30,000/– रूपया प्रतिमाह आमदनी होता है। आवेदिका द्वारा विपक्षी के आय के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, आवेदिका की ओर से आय एवं व्यय का ब्योरा शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है जिसमें आवेदिका ने विपक्षी की आय लगभग 30,000/– रूपया प्रतिमाह बताया है एवं विपक्षी ने आय एवं व्यय का ब्योरा शपथ पत्र के साथ दाखिल नहीं किया है। प्रस्तुत वाद में पूर्व में अंतरिम भरण पोषण का आदेश आवेदिका द्वारा दाखिल अंतरिम भरण पोषण का आवेदन पत्र के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला को देखते हुए विपक्षी को यह निर्देश दिया गया था कि वह आवेदिका को प्रतिमाह 5,000/– रुपया अंतरिम भरण पोषण की राशि अंतरिम भरण पोषण का आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से भुगतान करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनेश बनाम नेहा, 2020 में यह स्पष्ट किया गया है कि भरण पोषण की राशि वास्तविक आय एवं आवश्यकताओं के आधार पर ही निर्धारित की जानी चाहिए। न्यायालय का यह दायित्व है कि आवेदिका को सम्मानजन जीवन हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाए। बिहार में वर्ष 2025 में एक कुशल कामगर प्रति व्यक्ति आय लगभग 19,000/– रूपया प्रतिमाह है। सभी तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विपक्षी की आय वर्तमान समय में लगभग 20,000/– से 25,000/– रुपया प्रतिमाह होगी। वर्तमान

समय में किसी भी महिला को अपना जीवन यापन करने के लिए कम से कम पांच से सात हजार रूपया प्रतिमाह की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी एआईआर 2017 एससी 2383, मामले में यह निर्धारित किया है कि पति का 25 प्रतिशत हिस्सा उचित और उपयुक्त होगा और इससे अधिक नहीं। आवेदिका के पास आय का कोई साधन नहीं है, जिससे वह अपना भरण–पोषण कर सके। किसी भी व्यक्ति का अपनी पत्नी व अपने नाबालिग बच्चों का भरण–पोषण का नैतिक व कानूनी दायित्व उसके उपर बनता है। आवेदिका विपक्षी की वैध विवाहिता पत्नी है, अतः आवेदिका के भरण–पोषण का दायित्व विपक्षी के उपर ही है। इस प्रकार आवेदिका का भरण–पोषण का आवेदन स्वीकृत किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका का भरण–पोषण का आवेदन पत्र ससंघर्ष स्वीकृत किया जाता है और विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदिका को 7,000/– रुपया प्रतिमाह भरण–पोषण के रूप में भुगतान करें। भरण–पोषण का यह आदेश दिनांक 17.01.2024 की तिथि से प्रभावी होगा। प्रस्तुत वाद में विपक्षी के द्वारा अंतरिम भरण पोषण की राशि का जो भुगतान किया गया है वह इस राशि में समायोजित हो जाएगा। यदि विपक्षी भरण–पोषण की राशि भुगतान करने में असफल रहता है तो आवेदिका विधिक प्रक्रिया के अनुसार विपक्षी से भरण–पोषण की राशि वसूल कर सकती है।

लेखापित एवं संशुद्धीकृत

(अरविन्द कुमार शर्मा)
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
दिनांकः–02.06.2026

(अरविन्द कुमार शर्मा)
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
दिनांकः–02.06.2026

Date of Judgment/order	02-06-2026
Date of Reserving Judgment/order	22-05-2026
Uploading Date	11-06-2026
Uploaded by	Dhananjay Kumar (D.E.O.)